[redacted]

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
महात्मा गांधी नरेगा (अनुभाग–3) शासन सचिवालय, जयपुर
(Phone & Fax: 0141-2227287, E-mail: pdre_rdd@yahoo.com)

क्रमांकः एफ 1(23)ग्रावि / नरेगा / मेट / 2015 / ई0ओ0 75525 जयपुर दिनांकः 17 JUN 2019

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस
एवं जिला कलेक्टर
जिला – समस्त राजस्थान ।

विषय – श्रमिकों को ग्रुपवार अलग–2 दरो से भुगतान करने की समीक्षा बाबत्।
प्रसंग – विभागीय पत्र क्रमांक एफ 1(2) ग्रावि / मा.द. / 2010–11 दिनांक 20.07.2010, पत्रांक एफ 1(23) ग्रावि / नरेगा / मेट / 2015 दिनांक 20.04.2016 एवं दिनांक 10.05. 2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों द्वारा ग्रुपवार मूल्यांकन करने, अलग–2 ग्रुप के टास्क अनुसार अलग –2 दरो से भुगतान करने एवं समूहवार श्रमिकों के नियोजन व भुगतान की प्रतिमाह समीक्षा करने के निर्देश दिये गये थे। उक्त निर्देशों में समीक्षा हेतु दो प्रपत्र जिनका विवरण निम्नानुसार है, संलग्न किये गये थे।

- फार्म GM (Group Mesurement) – प्रत्येक पखवाड़ा समाप्ति उपरान्त प्रत्येक तकनीकी सहायक / कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में समस्त प्रगतिरत कार्यों पर कार्यरत समूहों के सम्बन्ध में प्रति दिवस अर्जित अधिकतम एवं न्यूनतम मजदूरी का अंकन किया जाना।
- फार्म MC (Mesurement Certificate) – फार्म GM के आधार पर कार्यक्रम अधिकारी द्वारा समीक्षा कर प्रत्येक माह की दिनांक 3 व 16 को जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं जिला कलेक्टर को समूहवार भुगतान व्यवस्था से अवगत कराना।

उक्त व्यवस्था के आपके जिले में क्रियान्वयन की वास्तविक जानकारी हेतु **आप अपने जिले के मई के द्वितीय पखवाड़े / जून प्रथम पखवाडे के विकास अधिकारियों द्वारा प्रेषित फार्म MC की प्रति मय आपके स्तर से की गई समीक्षात्मक टिप्पणी एवं आपके जिले की किसी भी एक पंचायत समिति के फार्म GM की प्रतियां विकास अधिकारी स्तर से की गई समीक्षा एवं कार्यवाही सहित जरिये ईमेल pdre_rdd@yahoo.com पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।**

(पी.सी. किशन)
आयुक्त, (ईजीएस)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –
1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त।
3. श्री राजेश सैनी, कनिष्ठ सहायक, को भेज कर लेख है कि उक्त सूचना जिलों से प्राप्त कर, सम्भागवार पत्रावली पर प्रस्तुत करें।
3. रक्षित पत्रावली।

परि.निदे.एवं संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस